रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1983/श्रावण 20, 1905
No. 347] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1983/SRAVANA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

समाज कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1983

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के मामले में
राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि के मामले में

का० आ० 573(अ):– भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव ने, जिन की यह प्रस्थापना है कि राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, नई दिल्ली की निधियां, पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यासतः प्रयुक्त की जाएं, आवेदन किया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची क में वर्णित निधियां भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित की जाएं और उक्त निधियों के प्रशासन के लिए एक स्कीम तय की जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यथा पूर्वोक्त आवेदन पर, तथा भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव की सहमति से आदेश करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची क में उपवर्णित धन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होगा और कोषपाल तथा उसके पद उत्तरवर्ती उस धन और उससे होने वाली आय को उक्त निधि के प्रशासन के लिए उस न्यास और इससे उपाबद्ध अनुसूची ख में उपवर्णित स्कीम में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार धारण करेंगे,

और यह अधिसूचित किया जाता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची ख में उपवर्णित स्कीम, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त निधियों के प्रशासन के लिए तय कर दी गई है और उक्त अधिनियम की उक्त धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन यह और आदेश किया जाता है कि यह स्कीम तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अनुसूची "क"

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि की निधियों मद्दे भारत सरकार द्वारा किया गया एक लाख रुपए का अभिदाय।

अनुसूची "ख"

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए स्कीम।

1. राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

1. अपंगताओं का शीघ्र पता लगाने और उनकी रोकथाम करने हेतु विकलांगों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने और

अपंग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, उनके शारीरिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ।

2. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के आनुषांगिक और साधक हों ।

2. निधि के उद्देश्यों का विस्तार समस्त भारत पर होगा

3. निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है) गठित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क)	सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ख)	वित्त सलाहकार शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(ग)	संयुक्त सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) भारत सरकार	सदस्य
(घ)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार	सदस्य
(ङ)	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(च)	संयुक्त सचिव, प्रभारी विकलांग कल्याण, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(छ)	पांच गैर-सरकारी सदस्य जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा । (गैर-सरकारी सदस्य अग्रणी समाज कार्यकर्त्ताओं/स्वयंसेवी संगठनों में से होंगे जिनमें प्रत्येक किसी मुख्य अपंग वर्ग का प्रतिनिधि होगा, अर्थात् दृष्टिबधित, श्रवण बाधित, अस्थि विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित और सांत्रिका विकलांग	सदस्य
(ज)	समाज कल्याण मंत्रालय में इस विषय से संबंधित निदेशक/अथवा उप सचिव अथवा अवर सचिव	सचिव कोषपाल

4. कम से कम चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिनमें दो गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए । प्रत्येक विषय का अवधारण उपस्थित तथा संबंधित प्रश्न पर मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा । मत बराबर होने की दशा में सभापति का मत निर्णायक मत होगा ।

5. बोर्ड, अपने गठन में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा ।

6. इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से बोर्ड अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकेगा और समय-समय पर उनमें ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

7. (1) बोर्ड निधि की निधियों के विनिधान, प्रबंध और उनके निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) बोर्ड सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्यवन के आगमों को और ऐसे धन और सम्पत्ति को भी, जिसका उपयोग निधि के उद्देश्यों के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, न्यास धन के विनिधान के लिए विधि द्वारा तत्समय प्राधिकृत विनिधान के खंडों में से किसी एक या अधिक में जो बोर्ड उचित समझे विनिहित करेगा ।

8. बोर्ड अपनी शक्तियों का भी, जो बोर्ड की राय में अनुसचिवीय कार्यमात्र हैं और जो विवेकाश्रित नहीं हैं या जो आवश्यक हैं और सामान्य प्रथा के अनुकूल हैं, सदस्यों में से एक या अधिक को प्रत्योजन कर सकेगा ।

9. निधि के धन का नियमित लेखा सचिव-कोषपाल रखेगा ।

10. सभी संविदाएं और हस्तान्तरण पत्र बोर्ड के नाम में होंगे और उसकी ओर से उन पर कम से कम एक सदस्य या सचिव-कोषपाल हस्ताक्षर करेगा ।

11. बोर्ड निधि के किसी उद्देश्य और सामान्य प्रयोजन के संवर्धनार्थ कोई विन्यास, दान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगा । वह खैरात से संबंधित किन्हीं ऐसे विशेष प्रयोजनों के लिए, जो इसके स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों या उसके सम्यक कार्यचालन में बाधा डालने वाले न हों विन्यास दान या अन्य अभिदाय भी प्राप्त कर सकेगा ।

12. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता : इस निधि से सहायता के लिए साधारणतया ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को वरीयता प्रदान की जाएगी जिसका विकलांग कल्याण के क्षेत्र में सेवा का सुप्रसिद्ध रिकार्ड हो और जो इस योजना की शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो ।

13. बोर्ड को आवेदन-पत्र : इस निधि के प्रमुख खाते से वित्तीय सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठन अपने आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव कोषपाल को भेजेगा ।

14. वित्तीय सहायता की सीमा : राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा जिला स्तर के स्वयंसेवी संगठन के लिए वित्तीय सहायता की सीमा प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमानित लागत का 90 प्रतिशत होगी तथा किसी एक विशिष्ट परियोजना के लिए यह सहायता एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

15. वित्तीय सहायता का क्षेत्र : इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उन कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगी जो व्यवहार्य समझे जाएंगे तथा जो इस निधि के उद्देश्यों में शामिल होंगे ।

16. वित्तीय सहायता के लिए पात्र कार्यक्रम : साधारण परिस्थियों में ऐसे कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अन्तर्गत सहायता पा रहे हों।

17. आवेदन-पत्र पर विचार विमर्श : इस निधि से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर बोर्ड द्वारा ही विचार किया जाएगा और वही इनका निपटान करेगा। जिन मामलों में किसी कारणवश बोर्ड की बैठक शीघ्र न हो रही हो वहां वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करके उनका निपटान एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष और दो अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा ।

सभी आवेदन अनिवार्यत: राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से ही भेजे जायेंगे।

18. अनुदान बन्द करने का अधिकार :-यदि बोर्ड का अध्यक्ष आवश्यक समझे तो लिखित रूप में कारण देकर इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए आवर्ती अथवा अनावर्ती किस्म के किसी भी अवितरित अनुदान पर रोक लगा सकता है अथवा उसे समाप्त कर सकता है अथवा उसमें कमी कर सकता है।

19. वित्तीय सहायता की शर्तें : इस निधि से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को वित्तीय सहायता देने के लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि उक्त संगठन सभी अनुदानों के लिए अलग-अलग खाते रखेगा, निश्चित अवधि के अन्दर अनुदानों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा भेजेगा, इस बारे में बताए गए समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र भेजेगा, प्राप्त किए अनुदानों का लेखापरीक्षित लेखा निश्चित अवधि के अन्दर भेजेगा, तथा इस बारे में रखी गई पुस्तकों अथवा लागू किए गए कार्यक्रमों के निरीक्षण के कार्य में इस निधि के अधिकारियो की सहायता करेगा ।

20. बोर्ड के सचिव-कोषपाल की शक्तियां और कृत्य : सचिव-कोषपाल के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्--

(क) बोर्ड के सभी अभिलेखों को अभिरक्षा में रखना;

(ख) बोर्ड की ओर से शासकीय पत्र-व्यवहार करेगा;

(ग) बोर्ड के अधिवेशन के आयोजित करने के लिए सभी सूचनाएं निकालना;

(घ) बोर्ड और ऐसे निकायों के अधिवेशनों का कार्य-वृत्त रखना जिनके अधिवेशन आयोजित करने का उत्तरदायित्व उस पर है;

(ङ) निधि की सम्पत्तियों और निधियों का प्रबन्ध करना;

(च) लेखा रखना और बोर्ड की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन करना; और

(छ) सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं ।

21. निधि की आस्तियां--(1) निधि के अन्तर्गत, ऐसी धनराशियों के अतिरिक्त जिनकी विशिष्टियां उक्त अधिसूचना की अनुसूची-क में दी गई हैं, ऐसे सभी आवर्ती या अनावर्ती अनुदान और अभिदाय हैं जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी कानूनी या गैर-कानूनी निकायों से किसी भी समय प्राप्त होते हैं तथा इसके अन्तर्गत किसी अन्य स्रोत से प्राप्त स्वैच्छिक अनुदान और विन्यास भी हैं ।

(2) निधि की सभी आस्तियां, निधि के बोर्ड में निहित होंगी ।

22. निधियों का आवंटन : बोर्ड, समय-समय पर अपने व्ययनाधीन कुल निधियों का वह अनुपात अवधारित कर सकेगा, जो किसी विशिष्ट वर्ष में निधि के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाएगा ।

23. निधियों का निक्षेप : निधि की समस्त धनराशि आरम्भत: निधि के बोर्ड के ऐसे खाते में जमा की जाएगी जो भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी शाखा में या भारत सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा ।

24. निधियों का निकाला जाना : निधि के बोर्ड के खाते से निधियों के निकाले जाने का विनियमन ऐसी रीति में किया जाएगा जो बोर्ड अवधारित करे। रकमें चैकों या मांग पर्चियों द्वारा निकाली जाएगी। यदि इस प्रकार निकाली जाने वाली रकम एक हजार रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसी चैक या पर्ची पर हस्ताक्षर सचिव-कोषपाल करेगा और अन्य दशाओं में सचिव कोषपाल तथा बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य करेगा ।

25. प्रशासनिक व्यय : बोर्ड द्वारा उपगत प्रशासनिक खर्च, जैसे बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर तथा सदस्यों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते पर उपगत व्यय, बोर्ड की निधियो पर विधिसंगत प्रभार होगा ।

26. (1) कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति : बोर्ड उतने कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो बोर्ड अवधारित करे ।

27. सदस्यों और अधिकारियों को पारिश्रमिक : (1) बोर्ड के किसी सदस्य को बोर्ड द्वारा अवधारित की गई दर पर, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से भिन्न कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) बोर्ड के शासकीय सदस्य अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपने वेतन प्राप्त करते हैं।

(3) निधि के अधिकारी और कर्मचारी ऐसा पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे, जिसके वे, उन्हें लागू होने वाले नियमों के अधीन, हकदार हैं।

28. लेखा और लेखा परीक्षा– निधि के समस्त धन और सम्पत्तियों तथा आय और व्यय की नियमित लेखा रखा जाएगा और उसकी लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म या ऐसे अन्य मान्यताप्राप्त प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड नियुक्त करे। लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे कि निधि से व्यय, निधि के उद्देश्यों के अनुसार ठीक ढंग से किया गया है।

निधि के वार्षिक लेखा की लेखा-परीक्षक द्वारा सम्यकतः लेखा-परीक्षित और प्रमाणित प्रतियां, प्रति वर्ष, निधि के सचिव-कोषपाल द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

29. वार्षिक रिपोर्ट–निधि के कार्यकरण की बाबत एक वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के सचिव-कोषपाल द्वारा तैयार की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

[सं० फा० 12-2/82 एच० डब्ल्यू० III]
एम० सी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1983

IN THE MATTER OF THE CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1890

IN THE MATTER OF THE NATIONAL HANDICAPPED WELFARE FUND, NEW DELHI

S.O. 573(E).—Whereas the Secretary to the Government of India, Ministry of Social Welfare, being the person who proposes to apply the funds of the National Handicapped Welfare Fund, New Delhi, in trust for charitable purposes, has applied for vesting the funds mentioned in Schedule 'A' annexed hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for the settlement of a scheme for the administration of the said funds;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and upon the application, as aforesaid, and with the concurrence of the Secretary to the Government of India, Ministry of Social Welfare do hereby order that the moneys set out in Schedule A annexed hereto shall, as from the date of publication of this notification, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said moneys and the income thereof in accordance with the trust and terms set out in the scheme set forth in Schedule B, annexed hereto for the administration of the said funds;

And it is hereby notified that the scheme set forth in Schedule B annexed hereto has, under sub-section (1) of section 5 of the said Act, been settled for administration of the said Fund and under sub-section (3) of the said section (5) of the said Act, it is hereby further ordered that it shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE 'A'

Contribution of rupees one lakh made by the Government of India towards the funds of the National Handicapped Welfare Fund.

SCHEDULE 'B'

Scheme for the administration of the National Handicapped Welfare Fund, New Delhi

1. The object of the National Handicapped Welfare Fund (hereinafter referred to as the Fund) shall be :—

(i) to promote voluntary sector for creating services for the handicapped for prevention and early detection of disabilities, education, training, physical and economic rehabilitation of disabled persons;

(ii) to do all other things that are incidental and conducive to the above objects.

2. The objectives of the Fund shall extend to the whole of India.

3. For the management and administration of of the Fund, a Board of Management (hereinafter referred to as the Board) shall be constituted consisting of the following members, namely :—

(a) Secretary,
Ministry of Social Welfare —Chairman

(b) Financial Adviser,
Ministry of Education and
Social Welfare. —Member

(c) Joint Secretary,
Ministry of Education and
Culture,
(Department of Education),
Government of India —Member

(d) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health), Government of India. —Member

(e) Director General of Employment and Training, Ministry of Labour, Government of India. —Member

(f) Joint Secretary in charge of Handicapped Welfare, Ministry of Social Welfare, Government of India. —Member

(g) Five non-official members to be nominated by the Chairman (Non-official members shall be from leading social workers/ voluntary Organisations—One each representing major disability groups—Visually Handicapped, Hearing Handicapped, Orthopaedically Handicapped, Mentally Retardation and Neurologically Handicapped. —Member

(h) Director/Dy. Secretary or Under Secretary (dealing with the subject) Ministry of Social Welfare —Secretary Treasurer

4. Not less than four members shall form a quorum out of which at least 2 should be non-officials. Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting on question. In case of equality of votes, Chairman shall have a casting vote.

5. The Board may function notwithstanding any vacancy in its constitution.

6. Subject to the provisions herein contained, the Board may, with the previous approval of the Central Government, frame and vary from time to time, as they think fit, bye-laws for the conduct of their business.

7. (1) The Board may make bye-laws for the regulation, management, and for any other purpose connected with the execution of the Fund.

(2) The Board shall invest the proceeds of the sale or other disposal of the property as well as any moneys or property not immediately required to be used for the objects of the Fund in any one or more of the modes of investment for the time being authorised by law for the investment of the trust money as the Board may think proper.

8. The Board may delegate to one or more of the members such of their powers as may, in the opinion of the Board, are merely ministerial acts and involve no discretion or are necessary and conformable to common usage.

9. Regular accounts of the moneys in the funds shall be kept by the Secretary-Treasurer.

10. All contracts and other assurances shall be in the name of the Board and signed on their behalf by at least one of the members or Secretary-Treasurer.

11. The Board may receive any endowment, donation, or other contributions in augmentation of any of the objects and general purpose of the Fund. They may also receive endowments, donations, or other contributions for any special purposes connected with the charity not inconsistent with or calculated to impede the due working of, the provisions of this scheme.

12. Eligibility for financial assistance.—A Voluntary organisation with a known record of service in the field of handicapped welfare and eligible for financial assistance in terms of this scheme shall ordinarily be preferred for assistance from the Fund.

13. Applications to Board.—For financial assistance from the Central Account of the Fund, Voluntary organisations shall address applications in this behalf, to the Secretary-Treasurer of the Board.

14. Limitation to financial assistance.—The financial assistance to the voluntary organisations of a national or State or district level shall be limited to 90 per cent of the estimated cost of the proposed programme and shall not exceed rupees one lakh for a particular project.

15. Scope of financial assistance.—Financial assistance under this scheme shall be restricted to the programmes which are considered viable and are with in the objects of the Fund.

16. Programmes eligible for financial assistance.—Programmes that are covered for assistance under any scheme operated by the Central Government or a State Government, shall not, in ordinary circumstances, qualify for any financial assistance under this scheme.

17. Consideration of application.—All applications for financial assistance from the Fund shall be considered and disposed of by the Board, and where the Board is not meeting early for any reason, the applications so received may be considered and disposed of by a committee consisting of the Chairman and two other members of the Board to be nominated by the Chairman of the Board.

All applications shall be routed through the State Government/U.T. Administration.

18. Power to stop grant.—The Chairman of the Board if he thinks it necessary so to do and for reasons to be recorded in writing, may withhold or terminate or reduce any undisbursed grants, whether of a recurring or a non-recurring nature, made under this scheme.

19. Conditions of financial assistance.—It shall be the condition of financial assistance to any voluntary organisation from the Fund that the voluntary organisation maintains a separate account of all the grants, renders a full account of the grants within the stipulated time, furnishes utilisation certificate at the time specified in this behalf, makes available audited accounts of the grants received within the stipulated time, and assists the officers of the Fund in the inspection of the programmes executed or books maintained by such organisation in this behalf.

20. Powers and Functions of Secretary-Treasurer of the Board.—It shall be the duty of the Secretary-Treasurer :—

(a) to be the custodian of all records of the Board;

(b) to conduct the official correspondence on behalf of the Board;

(c) to issue all notices for convening the meetings of the Board;

(d) to keep minutes of all meetings of the Board and of such bodies the responsibilities for convening whose meetings rests with him ;

(e) to manage the properties and Funds of the Fund;

(f) to maintain accounts and execute all contracts on behalf of the Board; and

(g) to exercise all other powers and execute such other functions as may be assigned to him by the Board from time to time.

21. Assets of this Fund.—(1) In addition to the money, particulars of which are given in Schedule A to the said notification, the assets of the Fund shall include all such contributions, recurring and non-recurring from the Central and State Governments, local bodies or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or the State Governments as well as voluntary donations and endowments from any other sources, whenever received and shall vest with the Board.

(2) All assets of the Fund except the money set out in Schedule 'A' shall vest with the Board.

22. Allocation of Funds.—The Board may from time to time, determine the proportion of the total Funds at its disposal which shall be applied for the purpose of this scheme in a particular year.

23. Deposit of Fund.—All moneys of the Fund shall be credited initially to the account of the Board of the Fund to be opened in any nationalised bank or any of its subsidiaries or any other Scheduled Bank approved in this behalf by the Government of India.

24. Withdrawal of Funds.—Withdrawal of Funds from the accounts of the Board of the Fund shall be regulated in a manner to be determined by the Board. Such withdrawals shall be made by cheques or requisitions (as the case may be) signed by the Secretary-Treasurer in the case of amounts not exceeding rupees one thousand and signed duly by the Secretary-Treasurer and another member of the Board to be nominated by the Board in other cases.

25. Administrative Expenses.—Administrative expenses incurred by the Board, such as expenditure incurred on salaries and allowances and T.A. and D.A. of their officers and staff and T.A. and D.A. of the members, shall be a legitimate charge on the Funds of the Board.

26. (1) Appointment of staff.—The Board may appoint such staff as they may consider necessary for the discharge of their functions.

(2) The terms and conditions of service of the staff may be determined by the Board.

27. Remuneration to members and officers.—(1) No remuneration shall be paid to any of the members of the Board excepting travelling and daily allowance at rates as applicable in Central Government.

(2) Official members of the Board shall draw travelling and daily allowance at rates admissible to them from the source from which they draw their salaries.

(3) Officers and staff of the Fund may draw such remuneration and T.A. and D.A. to which they may be entitled under rules applicable to them.

28. Accounts and Audit.—Regular accounts shall be kept of all moneys and properties and of income and expenditure of the Fund and shall be audited by a firm of Chartered Accountants or any other recognised authorities as may be appointed by the Board. The auditors shall also certify that the expenditure from the Fund has been correctly incurred in accordance with the objects of the Fund.

Copies of the annual accounts of the Fund duly audited and certified by the auditor shall be submitted by the Secretary-Treasurer of the Fund to the Government of India every year.

29. Annual Report.—An Annual Report on the working of the Fund shall be prepared by the Secretary-Treasurer of the Board and shall, after approval of the Board, be presented to the Government of India.

[No. F. 12-2/82-HW. III]

M. C. NARASIMHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983